आज़ादी का अमृत महोत्सव

भापनि

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

पटसन ज्योति

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड , प्रधान कार्यालय कोलकाता की वार्षिक गृह हिंदी पत्रिका

अंक
8

सितम्बर, 2023

भापनि
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड
वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार की संस्था
The Jute Corporation Of India Limited
A Government of India Enterprise under Ministry of Textiles

15 अगस्त, 2023 को प्रधान कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करते हुए श्री अजय कुमार जॉली, प्रबंध निदेशक, श्री अमिताभ सिन्हा, निदेशक (वित्त) एवं अन्य अधिकारीगण।

20 सितंबर, 2023 को प्रधान कार्यालय में आयोजित तत्काल हिंदी लेखन प्रतियोगिता।

21 जून, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए कार्मिकगण।

पटसन ज्योति परिवार

संरक्षक

श्री अजय कुमार जॉली
प्रबंध निदेशक
राजभाषा कार्यान्वयन समिति
भापनि, प्रधान कार्यालय, कोलकाता

मार्ग-दर्शक
श्री अमिताभ सिन्हा
निदेशक (वित्त)

मुख्य संपादक
श्री रमेश कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) एवं विभागाध्यक्ष (राजभाषा)

संपादक मंडल

श्री कल्याण कुमार मजूमदार
महाप्रबंधक (परि./विप.)

श्री शान्तनू चक्रवर्ती
मुख्य प्रबंधक (वित्त)

श्री बी.एन.भंसाली
मुख्य प्रबंधक (परि./विप.)

श्री अभिक साहा
कंपनी सचिव

श्रीमती संदीपा सेन दत्ता
वरिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन)

श्री जे.पी.के. मंडल
वरिष्ठ अनुवादक (हिंदी)

पटसन ज्योति

प्रधान कार्यालय कोलकाता की वार्षिक गृह हिंदी पत्रिका

अंक-8, सितम्बर, 2023

अनुक्रमणिका

क्र.सं.		शीर्षक	रचनाकार	पृष्ठ
1	संदेश	प्रबंध निदेशक, प्रधान कार्यालय, कोलकाता	श्री अजय कुमार जॉली	4
2		निदेशक (वित्त)	श्री अमिताभ सिन्हा	5
3		संपादकीय, वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) एवं विभागाध्यक्ष (राजभाषा)	श्री रमेश कुमार	6
4	आलेख, कहानियाँ एवं कविताएं	67 की माया	तारकेश्वर सिंह	7
5		जूट उद्योग में ब्लॉकचेन प्रोद्योगिकी की शुरुआत	राहुल रॉय चौधरी	8
6		ग्लोवल वार्मिंग	अरिन्दम दास	9
7		राष्ट्रीय एकता	विजय कुमार साहू	10
8		कराधान का इतिहास	रमेश कुमार	12
9		वफादारी (काव्य)	शंभू प्रसाद सिंह	14
10		जल संरक्षण	चाँदनी पोद्दार	15
11		कृत्रिम बुद्धिमता और उसका प्रभाव	बिजय भौमिक	16
12		स्वच्छता ही सेवा	संदीपा सेन दत्ता	18
13		काश जिंदगी एक किताब होती (काव्य)	पुरुषोत्तम हरि	19
14		संघर्ष (काव्य)	विशाल आनंद	19
15		कोशिश कर (काव्य)	विकाश चंद्र बर्मन	19
16		भारतीय पटसन निगम का वित्त	शांतनू चक्रवर्ती	20
17		कॉर्पोरेट गवर्नेंस	अभिक साहा	21
18		एच.आर.एम.एस. (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली)	मनीष श्रीवास्तव	24
19		भारत भी इंडिया हो गया (काव्य)	मंजु रानी	25
20		सकारात्मक सोच	कमल कांत शर्मा	26

हमारे संस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएँ

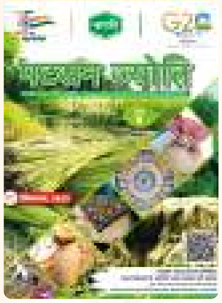

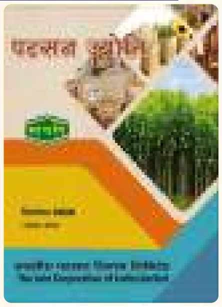

भापनि

प्रकाशन सम्पर्क सूत्र

हिंदी विभाग, भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, 15 एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता - 700 087

नोट : पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं की मौलिकता एवं उनमें व्यक्त विचारों के लिए रचनाकार स्वयं उत्तरदायी है। अतः पत्रिका में व्यक्त विचारों के लिए पटसन ज्योति परिवार, संपादक एवं प्रबंधकीय मंडल का किसी प्रकार से कोई उत्तरदायी नहीं है। निःशुल्क व आंतरिक वितरण हेतु मुद्रित व प्रकाशित।

मुद्रण एवं पत्रिका डिजाइन : अंजनी प्रकाशन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, मो. 8820127806, ई-मेल : anjaniprakashan19@gmail.com

संदेश

अजय कुमार जॉली
प्रबंध निदेशक
राजभाषा कार्यान्वयन समिति
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

मुझे हर्ष है कि पिछले वर्ष की तरह, इस वर्ष भी भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, प्रधान कार्यालय की वार्षिक गृह हिंदी पत्रिका "पटसन ज्योति" का 8वां अंक प्रकाशित हो रहा है। मुझे आशा है कि "पटसन ज्योति" के पाठक इस अंक में शामिल लेखों एवं रचनाओं का आनंद लेंगे।

हिन्दी एक सहज-सरल एवं सुबोध भाषा है। एक ओर जहाँ राजभाषा की सहजता एवं सुगमता के कारण हिन्दी आम लोगों में लोकप्रिय और कार्यालय के दैनिक उपयोग में काम आने वाली भाषा है, वहीं दूसरी ओर देश को एक सूत्र में पिरोये रखने का काम भी इसी के द्वारा किया जाता है। इस हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अथक प्रयास से संभव हो पाया है। राजभाषा के उत्थान में हिन्दी पत्रिकाओं का प्रकाशन अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

"पटसन ज्योति" के माध्यम से हमारा निरन्तर प्रयास बना रहेगा कि पूरे राष्ट्र में हिन्दी का उत्तरोत्तर विकास होता रहे तथा हिन्दी के प्रति सभी अपनी निष्ठा बनाए रखें। अतः मैं पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु सबको बधाई तथा सम्पादकीय मंडल एवं हिन्दी स्टाफ को उनके अथक प्रयास एवं उत्साह के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

पत्रिका की सफलता की शुभकामनाओं सहित।

अजय कुमार जॉली

(अजय कुमार जॉली)

संदेश

अमिताभ सिन्हा
निदेशक (वित्त)
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

भाषा के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि भाषा का संबंध संस्कृति और संस्कारों से है। इसके अलावा यह हमारी जीवन शैली एवं रीति-रिवाज से भी जुड़ी हुई है। पत्रिका एक साधन है जो भाषा के द्वारा स्थानीय संस्कृति तथा संस्कारों की खुशबू बिखेरती है। इस निगम की वार्षिक हिन्दी पत्रिका "पटसन ज्योति" के जरिए न केवल हम राजभाषा को बढ़ावा देने का प्रयास करते है, अपितु हमारी संस्कृति व मनोरम आकर्षणों से भी परिचित कराने का प्रयास करते हैं।

यह पत्रिका एक साधन है जो हमारे विचारों को वाणी देने तथा लिपिबद्ध करने का कार्य करती है। हिन्दी भाषा विश्व की तमाम भाषाओं में से एक मधुर तथा वैज्ञानिक भाषा है। भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हिन्दी में पत्रिका प्रकाशित करने से हिन्दी अपना संदेश लिए बृहत्तर क्षेत्र तक सहजता से पहुँचती है। "पटसन ज्योति" के माध्यम से हमारा निरन्तर प्रयास बना रहेगा कि पूरे राष्ट्र में हिन्दी का उत्तरोत्तर विकास होता रहे तथा हिन्दी के प्रति सभी अपनी निष्ठा बनाए रखें।

हिन्दी के प्रति हमारा लगाव एवं साहित्य के प्रति रूचि के फलस्वरूप "पटसन ज्योति" को आसान और रोचक एवं तथ्यपरक रूप से सँवारने की हमारी कोशिश में कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं, भविष्य में इसमें और अधिक निखार लाने हेतु आपके सुझाव एवं मार्गदर्शन अपेक्षित है।

शुभकामनाओं सहित,

(अमिताभ सिन्हा)

संपादकीय

रमेश कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) एवं
विभागाध्यक्ष (राजभाषा)
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

निगम का साहित्यिक प्रतिनिधित्व है प्रस्तुत पत्रिका 'पटसन ज्योति'। यह पत्रिका निगम की आधिकारिक समरसता का भी द्योतक है। वार्षिक प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका राजभाषा के प्रति समर्पण भावना का भी स्व-वर्णन करती है। हमारे कार्यकारी व्यस्तताओं के बीच ऐसी पत्रिका का प्रकाशन ठीक वैसा ही है, जैसे तपते रेगिस्तान में सुदूर कहीं मीठे जलाशय का मिल जाना।

कोलकाता की धरती देवी काली के आशीर्वाद से आह्लादित है, यहाँ कण-कण में आध्यात्मिक ऊर्जा का वास है। हम सब जानते ही हैं कि ऊर्जा का रूपान्तरण किया जा सकता है। अतः कोलकाता अंचल में कार्यरत बल उस असीम ऊर्जा को कार्यक्षेत्र में परिणत कर अंचल के व्यावसायिक उत्थान में लगाएँगे, ऐसा विश्वास है। सफलता का कोई तयशुदा परिमाण नहीं होता, निश्चित ही निगम के युवा भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, प्रधान कार्यालय के मानदण्डों के अनुरूप व्यावसायिक उत्थान में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, अपनी गतिशीलता, दृश्यता एवं जीवंतता में नए आयामों की रचना करेगा।

जीवन की विविधताओं में से एक है कल्पनाशीलता जिसका एक महत्वपूर्ण अंग है साहित्य, सृजनशीलता एवं राजभाषा के प्रति परिपक्व व धनात्मक सोच। प्रस्तुत पत्रिका का अध्ययन एक नया अनुभव प्रदान करेगा, चूँकि पत्रिका में शामिल आलेख, रचनाएं आदि कार्यरत कार्मिकों के द्वारा ही दिए गए हैं जिससे रसास्वादन भी बढ़ता है। पूर्ण विश्वास है कि पत्रिका आने वाले कार्य दिवसों में भी फलती-फूलती रहेगी एवं सबका सहयोग इसमें प्राप्त होगा।

शुभकामनाओं सहित।

रमेश कुमार

(रमेश कुमार)

67 की माया

तारकेश्वर सिंह
उप प्रबंधक (वित्त)
प्रधान कार्यालय, कोलकाता

जी हाँ, 01/01/86 की माया अब 67 की हो चुकी है। सिर्फ 37 साल लगे 67 तक का सफर तय करने में। 1990 में महज 01 की थी जबकि 2006 में 10 और 2007 में 20 की हो गई। जो माया 2014 में 22 की थी वो 2019 में 40 की हो चुकी थी। अगले दो साल में ही 60 की हो गई। कभी धीमे तो कभी तेज, लेकिन साल दर साल माया बड़ी होती गई। अगर ऐसे ही चले तो 2047 आते-आते, माया 100 की भी हो सकती है। कमाल की बात तो ये है कि माया जैसे-जैसे बड़ी हो रही है, इसका निखार भी बढ़ता जा रहा है। युवा हो या बुजूर्ग, पढ़े-लिखे हो या कम पढ़े-लिखे, अमीर हो या मध्यम वर्गी, महिला हो या पुरुष सब इसके दीवाने हैं। विदेशी संस्थाएं भी इसमें काफी रुचि रखती हैं। इसके परिवार में और भी हैं जो लगभग 20, 30 और 45 की हैं। 20 वाली तो और भी धूम मचाती है। लेकिन अभी बात सिर्फ माया की ही कर रहे हैं।

रोज सुबह 9.00 बजे निकलती है और शाम 3.30 बजे वापस आती है। सुना है मुंबई में रहती है। यह तेरह अलग-अलग क्षेत्र के तीस बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके साथ जुड़ना तो वैधानिक है पर जोखिम भी है। इसके नियमों का पालन न हो तो सजा भी हो सकती है। बीते समय में इसके कई उदाहरण है। हालांकि लोगों के हितों की रक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा एक नियामक प्राधिकरण भी बनाया गया है।

इसकी अपनी चाल है, अपनी दिशा है। कभी गिरती, कभी संभलती, कभी रुकती तो कभी दौड़ लगाती। इसके गति को मापे कौन, इसके शक्ति को पहचाने कौन। कौन है जो इसके रुझानों को समझे। रंगीन नखरे हैं इसके। कभी लाली छाई रहती है तो कभी हरियाली। इसके इसी अदा पर करोड़ों लोग फिदा हैं। हजारों कारणों पर निर्भर करती है इसकी चाल। इतनी फुर्तीली, इतनी गंभीर, इतनी भावुक कि अपनी कंपनियों के बारे में जरा-सी नकारात्मक बात सुनी नहीं कि लाल पीली हो जाती है। हाँ सकारात्मक खबर पर इसपर हरियाली भी छा जाती है। खबर आर्थिक हो या राजनीतिक या सामाजिक, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देती है। इसके लाल होने पर जहां लोग हताश और निराश हो जाते हैं वहीं हरा होने पर उनके चेहरे भी खिल जाते हैं।

जो लोग इसे समझते हैं, इसके चाल का सही अनुमान लगा पाते हैं वे तो मालामाल हो जाते हैं वरना बर्बाद होने वाले भी कई हैं। कइयों की तो नींद उड़ी रहती है कि अगले दिन माया क्या करेगी, गिरेगी या बढ़ेगी। कुछ इसके साथ चलते हैं, कुछ किसी पड़ाव पर इसे छोड़ देते हैं तो कोई और इसे थाम भी लेता है। कब पकड़े कब छोड़े बड़ी दुविधा रहती है। कुछ इसे एक दिन रखते हैं, कुछ महीनों और कुछ तो वर्षों तक रखते हैं। ऐसी है ये माया। अब इसे बुरी तो नहीं कह सकते।

इसे समझने के लिए कुछ लोग कई प्रकार के विश्लेषण करते रहते हैं। कुछ इसके सीमा का अनुमान लगाते हैं तो कुछ रेखा गणित पढ़ते हैं। कुछ तो इसके रुझानों में ही उलझे रहते हैं।

उम्मीद करता हूँ कि माया की माया जाल आपके लिए फायदेमंद हो।

जूट उद्योग में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की शुरुआत

राहुल रॉय चौधरी
अति. कनिष्ठ सहायक
प्रधान कार्यालय, कोलकाता

ब्लॉकचेन पब्लिक लेजर का एक रूप है जो ब्लॉक की एक श्रृंखला है जिस पर लेन-देन विवरण दर्ज किए जाते हैं और नामित नेटवर्क प्रतिभागियों द्वारा उपयुक्त प्रमाणीकरण और सत्यापन के बाद सार्वजनिक डेटाबेस पर संग्रहीत किया जाता है, किसी भी पब्लिक लेजर को देखा जा सकता है लेकिन किसी एक उपयोगकर्ता द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।

ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोगः-

ब्लॉकचेन कई पहलुओं में एक संभावित परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभरा है, सरकारी क्षेत्र के संचालन में इसकी क्षमता को विश्व स्तर पर विविधता के साथ पहचाना गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रौद्योगिकीय कंपनियाँ इसके अनुप्रयोग के लाभों पर प्रकाश डाल रही है, यह संचालन और अनुपालन की लागत को कम करने के साथ-साथ दक्षता में सुधार करने की क्षमता रखता है।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के उपयोग को विनियमित करने और बढ़ावा देने में सरकार की भूमिकाः

वैश्विक जगत से कदमताल मिलाते हुए भारत सरकार ने भी ब्लॉकचेन तकनीक के जरिये कई सारे सरकारी कंपनियों द्वारा वित्तीय सेवाएं देना शुरू कर दिया है, वस्त्र मंत्रालय भी अपने दैनिक परिचालन में ब्लॉकचेन तकनीक को शामिल करने की कोशिश कर रही है। वस्त्र मंत्रालय ने भारतीय पटसन निगम लिमिटेड द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक को पटसन उद्योग के क्षेत्र में अमल करने की कोशिश कर रही है। यह जूट उद्योग में शामिल हर एक जूट मिल से लेकर हर एक जूट किसान के लिए फ़ायदेमंद होगा। ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो सुरक्षित एवं आसानी से सुलभ नेटवर्क पर लेन-देन का एक विकेंद्रीकृत डाटाबेस तैयार करती है। इस वर्चुअल बही-खाते में जूट उद्योग से जुड़ी हुई अधिकांश लेन-देन को नेटवर्क पर स्थित ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है। ब्लॉकचेन डाटा ब्लॉकों (आँकड़ों) की एक श्रृंखला है जिसके प्रत्येक ब्लॉक में लेन-देन का एक समूह समाविष्ट होता है, ये ब्लॉक एक-दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होते हैं तथा इन्हें कृट-लेखन (एन्क्रिप्शन) के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है। इसके

अन्तर्गत नेटवर्क से जुड़ी कम्प्यूटर की श्रृंखलाओं (जिन्हें नोड्स कहा जाता है) के द्वारा सत्यापित होने के बाद प्रत्येक लेन-देन के विवरण को बही खाते में रिकॉर्ड किया जाता है। ब्लॉकचेन तकनीक को लागू करने से पटसन उद्योग को बिक्री पर बारीकी से नजर रखने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा, जूट स्टॉक सार्वजनिक बही खाता के माध्यम से दिखाई देगा जिससे उद्योग में पारदर्शीता बढ़ेगी, इसके साथ-साथ सरकार का मुख्य उद्देश्य जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करना है वह अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगा और किसी भी जूट किसान को भूखा नहीं सोना पड़ेगा और उन्हें अपना जूट बेचने में बहुत ही कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह अन्य किसानों को भी अधिक से अधिक जूट उगाने और उन्हें लाभदायक बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और तो और समय आने पर ब्लॉकचेन तकनीक जूट उद्योग को बफर स्टॉक को ट्रैक एवं लोकेट करने में भी मदद करेगी।

निष्कर्ष:-

वर्तमान में, हम ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकियों के नेतृत्व वाली डिजिटल क्रांति के अगले चरण को देख रहे है। भारत की मानव पूंजी, विशेषज्ञता और संसाधनों को सही नीतियों के साथ संचालित करने से भारत को इसका अधिकतम लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

ग्लोवल वार्मिंग

अरिन्दम दास
कनिष्ठ निरीक्षक
तुलसीहाटा आर. एल.डी

पर्यावरण में कार्बन डाई-ऑक्साइड के मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के सतह पर निरंतर तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है। पृथ्वी का तापमान बढ़ना विभिन्न आशंकाओं (खतरों) को जन्म देता है, साथ ही इस ग्रह पर जीवन के अस्तित्व के लिए संकट पैदा करता है।

जीवाश्म ईंधन के दोहन, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, वनों को काटना, बिजली की अत्यधिक खपत, फ्रिज में उपयोग होने वाले गैस इत्यादि के कारणवश वातावरण में Co_2, Co का अत्यधिक उत्सर्जन हो रहा है। Co_2 के स्तर में बढ़ोत्तरी "ग्रीन हाउस गैस प्रभाव" का कारक है, जो सभी ग्रीन हाउस गैस (जलवाष्प, Co_2, मीथेन, ओजोन) थर्मल विकरण को अवशोषित करता है तथा सभी दिशाओं में विकीर्ण को छोड़ कर पृथ्वी के सतह पर वापस आ जाते हैं जिससे सतह का तापमान बढ़ कर ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण बनता है।

हमें पेड़ों की अन्धाधुन कटाई पर रोक लगाना चाहिए, बिजली का उपयोग कम करना चाहिए, लकड़ी को जलाना बंद करना चाहिए आदि। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के सभी देशों के लिए एक बड़ी समस्या है जिसका समाधान सकारात्मक शुरूआत के साथ करना चाहिए।

ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से जीवन पर खतरा बढ़ता जा रहा है। हमें सदैव के लिए बुरी आदतों का त्याग करना चाहिए क्योंकि यह Co_2, Co के स्तर में वृद्धि कर रहा है और ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है।

राष्ट्रीय एकता

विजय कुमार साहू
मानव संसाधन अधिकारी
भद्रक आरएलडी

राष्ट्रीय एकता का अर्थ है – भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक एकता। हमारे धार्मिक विचार, भोजन, वेशभूषा और रहन-सहन के तरीकों में अंतर हो जाता है लेकिन हमारे राजनीतिक और राष्ट्रीय विचारों में कोई अंतर नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान में किसी जाति या धर्म विशेष को प्रमुखता नहीं दिया गया। संविधान के लिए हम सब एक समान है। गुलामी से आज़ादी पाने के लिए सबसे प्रमुख हथियार एकता है। राष्ट्रीय एकता अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है जिसका शब्दों में व्याख्यान कर पाना आसान नहीं। राष्ट्रीय एकता एवं प्रेम के बारे में सत्य ही है –

> **"जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं।**
> **वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं"**

राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय एकता अखंडता के महत्व को समझते हुए देश वासियों के हृदय में एकता की भावना प्रभावित करने तथा राष्ट्रीय एकता को गंभीरता से लेने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय एकता सप्ताह दोनों ही अलग-अलग समय पर आयोजित किए जाते हैं। दोनों समारोह का उद्देश्य एक है राष्ट्रीय एकता के महत्व के प्रति जन जागरूकता फैलाना।

किसी भी राष्ट्र की आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय एकता किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए परम आवश्यक होती है। जिस देश के नागरिक आपस में प्रेम-भाव से मिलकर नहीं रहते, एक दूसरे से अकारण ही लड़ाई-झगड़ा करते हैं, वह देश कभी भी महान नहीं बन सकता। उसके नागरिकों की जो ऊर्जा देश-हित में प्रयोग होनी चाहिए थी, वह व्यर्थ चली जाती है। उस राष्ट्र से शांति तथा सद्भावना का लोप हो जाता है और ऐसी स्थिति में दूसरे राष्ट्र उसकी इस दुर्दशा का फायदा उठाते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को गुलाम बनाना, इसी एकता के अभाव का दुःखद परिणाम था। अतः राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर इसके मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं जो समय-समय पर इस एकता को रोकने का प्रयास करती हैं। उनमें से कुछ उल्लेखनीय है-

1. **जातिवाद :** अपनी जाति को श्रेष्ठ एवं दूसरी जाति को निम्नतर समझने की भावना तथा जातिगत आरक्षण की सरकारी नीति ने एकता में दरार डाली है। पिछले कुछ वर्षों में आरक्षण के विरोध में देश के कई हिस्सों में तोड़-फोड़, आगजनी तथा आत्मदाह जैसी घटनाओं ने राष्ट्रीय एकता को खंडित किया है।
2. **प्रादेशिकता :** विगत कुछ वर्षों से देश के कई हिस्सों में अलग राज्यों की मांग ने एकता की भावना को कमजोर किया। इसमें 'कश्मीर से कन्या कुमारी तक' भारत में क्षेत्रीयता एवं अलगाव की भावना प्रबल हुई है।
3. **साम्प्रदायिकता :** साम्प्रदायिकता की समस्या ने देश की एकता में बाधा डालने तथा समाज को विभाजित करने का कार्य किया है। इस कार्य में कुछ क्षुद्र राजनीतिज्ञों और धार्मिक नेताओं ने भी मदद की है।
4. **भाषायी विवाद :** कुछ समय से अपनी भाषा, अपनी बोली, अपने साहित्य और अपनी संस्कृति को श्रेष्ठतर और दूसरों को अपने से हीन समझने की भावना बढ़ी है, जिसने एकता को कमजोर करने का कार्य किया है।

राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य : देश के नागरिक जब छुआ-छूत और जात-पात के भावना से ऊपर उठकर भाईचारे के समूह में बंध जाते हैं

उस भावना को राष्ट्रीय एकता के नाम से संबोधित किया गया है। राष्ट्रवादियों के अनुसार-"व्यक्ति राष्ट्र के लिए है, राष्ट्रीय व्यक्तियों के लिए नहीं" इस दृष्टि से व्यक्ति का राष्ट्र के अभाव में कोई अस्तित्व नहीं।

राष्ट्रीय एकता का महत्व : देश को गुलामी, सांप्रदायिक झगड़ों, दंगों से बचाने के लिए देश में राष्ट्रीय एकता का होना अति आवश्यक है। 200 साल से भी अधिक की गुलामी के पश्चात प्राप्त स्वतंत्रता का हमें सम्मान करना चाहिए तथा किसी भी कारणवश राष्ट्रीय एकता पर उंगली उठ सके, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। हमें राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझना चाहिए।

एकता के लिए दौड़े (रन फॉर यूनिटी) : सरदार बल्लभ भाई पटेल देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने दिए गए योगदान के लिए जाने जाते हैं। अतः 31 अक्टूबर 2014 को देश के प्रथम उप प्रधानमन्त्री तथा प्रथम गृह मंत्री के 144वें जन्म दिवस के अवसर पर उस समय के प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माला अर्पण किया और देशवासियों से रन ऑफ यूनिटी, मैराथन दौड़ में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आग्रह किया। इस मैराथन दौड़ का उद्देश्य लोगो में राष्ट्रीय एकता के महत्व को बताना था।

राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा कार्यक्रम : ऊपर दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए हमें स्कूलों में इस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए जिसमें प्रत्येक बालक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो जाए। निम्नलिखित पंक्ति में हम विभिन्न स्तरों के शैक्षिक कार्यक्रम पर प्रकाश डाल रहे हैं।

- प्राथमिक स्तर- बाल दिवस, शिक्षक दिवस तथा महापुरुषों के जन्मदिवस मनाए जाएं और महान व्यक्तियों के जीवन से परिचित कराया जाए।
- माध्यमिक स्तर- बालकों को भारत के आर्थिक विकास का ज्ञान करा कर उनमें राष्ट्रीय चेतना विकसित की जाए और राष्ट्रीयता के संबंध में महापुरुषों के व्याख्यान कराए जाएँ।
- महाविद्यालय स्तर- समय-समय पर अध्ययन बैठक तथा विचार बैठक आयोजित की जाए। इन बैठकों में विभिन्न विश्वविद्यालय के विधार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

राष्ट्रीय एकता सप्ताह –

राष्ट्रीय एकता और अखंडता को उत्सव के रूप में पूरे सप्ताह मनाया जाता है जिसकी सूची निम्नवत है –

- 19 नवंबर राष्ट्रीय एकता दिवस।
- 20 नवंबर अल्पसंख्यक कल्याण दिवस।
- 21 नवंबर भाषाई सद्भाव दिवस।
- 22 नवंबर कमजोर वर्गों का दिवस।
- 23 नवंबर सांस्कृतिक एकता दिवस।
- 24 नवंबर महिला दिवस।
- 25 नवंबर संरक्षण दिवस।

अलग धर्म और जाति होने के बावजूद हमारे देश को जो वस्तु प्रगति के रास्ते पर अग्रसर करती है, वह है हमारी राष्ट्रीय एकता। यही कारण है कि हमें भारत में विविधता में एकता के वास्तविक अर्थ को समझना चाहिए। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि अखंडता की प्रकृति यहाँ पर नस्लीय और सांस्कृतिक समानता के कारण होनी चाहिए बल्कि इसका मतलब है कि इतने अंतर के बावजूद भी एक एकात्मता है।

पूरे विश्व भर में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के रूप में भारत को गिना जाता है जहां पर 1652 भाषाएं बोली जाती हैं और विश्व के सभी मुख्य धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। सभी मतभेदों के बावजूद भी हमें बिना किसी राजनीतिक और सामाजिक विरोधाभास के शांति से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। हमें इस महान देश में एकता का आनंद उठाना चाहिए जहां राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सब कुछ विविधता है। इसीलिए इन कारणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमें हमारे देश का पूर्ण विकास करना है तो हमें राष्ट्रीय एकता का होना आवश्यक है।

विज्ञान की उन्नति के कारण आज भौतिक विकास अपनी चर्म सीमा पर है। यदि भौतिक विकास के साथ-साथ वैचारिक विकास भी बनाए रखा जाए तो राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलेगा जिससे देश और भी मजबूत होगा। एक संगठित देश को विश्व पटल पर बड़ी शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो राष्ट्र संगठित होता है, उसे न कोई तोड़ सकता है और न ही कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है। अतः प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करें।

भारत की विशेषता उसकी अनेकता में एकता का होना है। किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्र की एकता हथियार के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय एकता के न होने की स्थिति में किसी भी राष्ट्र को बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है। हम सभी देशवासियों को राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझना चाहिए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ही कानून की किताब (संविधान) नीतियों से भरा गया है। स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय एकता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अतः हमें हर हाल में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना चाहिए।

कराधान का इतिहास

रमेश कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)
प्रधान कार्यालय, कोलकाता

इनकम टैक्स का हिंदी में अर्थ होता है- आयकर। यह ऐसा टैक्स होता है, जिसे सरकार लोगों की सालाना आमदनी (Annual Income) पर वसूलती है। हालांकि भारत में कम आमदनी वालों से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। सिर्फ एक निश्चित सीमा से अधिक सैलरी या आमदनी वालों को ही इनकम टैक्स चुकाना पड़ता हैं। अलग-अलग तरह की कमाइयों पर यह अलग-अलग नामों से वसूला जाता हैं जैसे कि एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, वेल्थ टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह।

"यह केवल अपनी प्रजा की भलाई के लिए था कि उसने उनसे कर वसूला, जैसे सूर्य पृथ्वी से नमी खींचकर उसे हजारों गुना वापस देता है"- रघुवंश में कालिदास द्वारा राजा दलीप की स्तुति।

यह आम धारणा है कि आय और संपत्ति पर कर हाल ही में लगे हैं लेकिन यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आदिम और प्राचीन समुदायों में भी किसी न किसी रूप में आय पर कर लगाया जाता था। "टैक्स" शब्द की उत्पत्ति "कराधान" से हुई है जिसका अर्थ अनुमान होता है। ये माल या पशुधन की बिक्री और खरीद पर लगाए जाते थे। लगभग 2000 वर्ष पहले सीजर ऑगस्टस का एक फरमान निकला कि पूरी दुनिया पर कर लगाया जाना चाहिए। ग्रीस, जर्मनी और रोमन साम्राज्य में भी कभी कारोबार के आधार पर तो कभी व्यवसाय के आधार पर कर लगाया जाता था।

भारत में प्रत्यक्ष कराधान की प्रणाली जैसा कि आज ज्ञात है, प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में लागू रही है। मनु स्मृति और अर्थशास्त्र दोनों में विभिन्न प्रकार के कर उपायों के संदर्भ हैं। प्राचीन ऋषि और कानून-निर्माता मनु ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार राजा कर लगा सकता है। बुद्धिमान ऋषि ने सलाह दी कि करों का संबंध प्रजा की आय और व्यय से होना चाहिए। हालाँकि, उन्होंने राजा को अत्यधिक कराधान के प्रति आगाह किया और कहा कि दोनों चरम सीमाओं से बचा जाना चाहिए अर्थात् या तो करों की पूर्ण अनुपस्थिति या अत्यधिक कराधान। उनके अनुसार राजा को कर संग्रहण की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि प्रजा को कर चुकाने में कठिनाई महसूस न हो। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और कारीगरों को उनके मुनाफे का 1/5 हिस्सा चांदी और सोने के रूप में देना होगा, जबकि किसानों को 1/6 हिस्सा देना होगा। इस विषय पर मनु द्वारा दिए गए विस्तृत विश्लेषण से प्राचीन काल में भी एक सुनियोजित कराधान प्रणाली के अस्तित्व का स्पष्ट पता चलता है। इतना ही नहीं, विभिन्न वर्ग के लोगों जैसे अभिनेताओं, नर्तकों, गायकों आदि पर कर लगाया गया। करों का भुगतान सोने के सिक्कों, मवेशियों, अनाज, कच्चे माल के रूप में और व्यक्तिगत सेवा प्रदान करके भी किया जाता था।

कौटिल्य ने विदेशों के साथ होने वाले व्यापार और वाणिज्य और इस तरह के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मौर्य साम्राज्य की सक्रिय रुचि का विस्तार से वर्णन किया। चीन, सीलोन और अन्य देशों से सामान आयात किया जाता था और देश में आयातित सभी विदेशी वस्तुओं पर वर्तमान के रूप में जाना जाने वाले लेवी वसूला जाता था। द्वारोदय नामक एक और लेवी था जिसका भुगतान संबंधित व्यवसायी द्वारा विदेशी वस्तुओं के आयात के लिए किया जाता था। इसके अलावा, कर संग्रह को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के नौका शुल्क लगाए गए। आयकर का संग्रहण सुव्यवस्थित था और यह राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा था।

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सार्वजनिक वित्त और कराधान

प्रणाली को इतना महत्व क्यों दिया, इसका कारण ढूँढना दूर की बात नहीं है। उनके अनुसार सरकार की शक्ति उसके खजाने की ताकत पर निर्भर करती थी। वह कहते हैं- "राजकोष से सरकार की शक्ति आती है। हालाँकि, उन्होंने राजस्व और करों को उन सेवाओं के लिए संप्रभु की कमाई के रूप में माना जो उनके द्वारा लोगों को प्रदान की जानी थीं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना था। कौटिल्य ने इस बात पर जोर दिया कि राजा केवल भूमि का ट्रस्टी था एवं उसका कर्तव्य इसकी रक्षा करना और इसे अधिक से अधिक उत्पादक बनाना था ताकि राज्य के लिए आय के प्रमुख स्रोत के रूप में भू-राजस्व एकत्र किया जा सके।

कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य में कर प्रशासन की प्रणाली का भी विस्तार से वर्णन किया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान कर प्रणाली कई मायनों में लगभग 2300 वर्ष पूर्व प्रचलित कराधान प्रणाली के समान है। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रत्येक कर विशिष्ट था और इसमें मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं थी। परिशुद्धता ने प्रत्येक भुगतान का शेड्यूल निर्धारित किया और इसका समय, तरीका और मात्रा सभी पूर्व-निर्धारित थे। भूमि राजस्व उपज का 1/6 हिस्सा तय किया गया था और आयात और निर्यात शुल्क मूल्य के आधार पर निर्धारित किए गए थे। विदेशी वस्तुओं पर आयात शुल्क उनके मूल्य का लगभग 20 प्रतिशत था। इसी तरह टोल, सड़क उपकर, नौका शुल्क और अन्य शुल्क सभी तय किए गए थे। कौटिल्य के कराधान की अवधारणा कमोबेश आधुनिक कराधान प्रणाली के समान है। उनका पूरा जोर कराधान में समानता और न्याय पर था। अमीर लोगों को कम भाग्यशाली लोगों की तुलना में अधिक कर चुकाना पड़ता था। जो लोग बीमारियों से पीड़ित थे या नाबालिग थे और छात्र थे उन्हें कर से छूट दी गई या उचित छूट दी गई। राजस्व संग्राहक वसूली और छूट के अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखते थे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, राज्य का कुल राजस्व बड़ी संख्या में स्रोतों से एकत्र किया जाता था।

कौटिल्य ने यह भी निर्धारित किया कि युद्ध या आपात स्थिति जैसे अकाल या बाढ़ आदि के दौरान कराधान प्रणाली को और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए और राजा युद्ध ऋण भी उठा सकता है। आपातकाल के दौरान भू-राजस्व को 1/6 से ¼ तक बढ़ाया जा सकता था। वाणिज्य में लगे लोगों को युद्ध प्रयासों के लिए बड़ा दान देना पड़ता था।

समग्र दृष्टिकोण से देखें तो बिना किसी विरोधाभास एवं बिना डर के कहा जा सकता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस देश में सार्वजनिक वित्त, प्रशासन और राजकोषीय कानूनों पर पहला आधिकारिक पाठ था। कर राजस्व की उनकी अवधारणा कर प्रशासन के क्षेत्र में एक अद्वितीय योगदान था। वह ही थे जिन्होंने राज्य के संचालन में कर राजस्व को उचित महत्व दिया और साम्राज्य की समृद्धि और स्थिरता में इसका दूरगामी योगदान दिया।

पिछले दशकों के दौरान प्रत्यक्ष करों के प्रशासन में तेजी से बदलाव भारत में सामाजिक-आर्थिक सोच के इतिहास को दर्शाते हैं। 1922 से आज तक प्रत्यक्ष कर कानूनों में बदलाव इतनी तेजी से हुए हैं कि केवल रूपरेखा को छोड़कर आईटी अधिनियम, 1922 के निशान 1961 अधिनियम में शायद ही देखे जा सकते हैं क्योंकि यह आज तक संशोधित है। इन परिस्थितियों में यह स्वाभाविक था कि विभाग की संरचना का न केवल विस्तार हो बल्कि संरचनात्मक परिवर्तन भी हो।

भारत में आयकर विभाग का संगठनात्मक इतिहास वर्ष 1922 में शुरू होता है। आकार अधिनियम, 1922 ने पहली बार विभिन्न आयकर अधिकारियों को एक विशिष्ट नामकरण दिया। इस प्रकार प्रशासन की एक उचित प्रणाली की नींव रखी गई। 1924 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम ने आयकर अधिनियम के प्रशासन के लिए कार्यात्मक जिम्मेदारियों के साथ एक वैधानिक निकाय के रूप में बोर्ड का गठन किया। प्रत्येक प्रांत के लिए अलग-अलग आयकर आयुक्त नियुक्त किए गए और उनके नियंत्रण में सहायक आयुक्त और आयकर अधिकारी प्रदान किए गए। 1939 में आयकर अधिनियम में हुए संशोधन ने दो महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन किए: (1) अपीलीय कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया; इस प्रकार अधिकारियों का एक वर्ग जिसे अपीलीय सहायक आयुक्त के रूम में जाना जाता है, अस्तित्व में आया, और (2) बंबई में एक केंद्रीय प्रभार बनाया गया। 1940 में पूरे भारत में आयकर विभाग के काम की प्रगति और निरीक्षण पर प्रभावी नियंत्रण रखने की दृष्टि से बोर्ड का पहला संलग्न कार्यालय जिसे निरीक्षण निदेशालय (आयकर) कहा जाता है, बनाया गया था। कार्यकारी और न्यायिक कार्यों के पृथक्करण के परिणामस्वरूप 1941 में अपीलीय न्यायाधिकरण अस्तित्व में आया। इसी वर्ष कलकत्ता में भी एक केंद्रीय प्रभार बनाया गया।

कर सुधार : पिछले कुछ वर्षों में किए गए कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत एवं प्रशासनिक सुधार इस प्रकार हैं:-

(ए) नीतिगत सुधारों में शामिल हैं:-

- दरें कम करना;
- प्रमुख प्रोत्साहनों की वापसी/कमी;
- अनुमानित कराधान के लिए उपायों की शुरुआत;
- कर कानूनों का सरलीकरण, विशेष रूप से पूंजीगत लाभ से संबन्धित; और
- कर आधार का विस्तार करना।

(बी) प्रशासनिक सुधारों में शामिल हैः-

कम्प्यूटरीकरण : आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण 1981 में आयकर निदेशालय (सिस्टम) की स्थापना के साथ शुरू हुआ। प्रारंभ में चालान के प्रसंस्करण का कम्प्यूटरीकरण किया गया। इसके लिए पहली बार 1984-85 में महानगरीय शहरों में एसएन- 73 सिस्टम का उपयोग करके 3 कम्प्यूटर केंद्र स्थापित किए गए थे। इसे बाद में 1989 तक 33 प्रमुख शहरों तक बढ़ा दिया गया। कम्प्यूटरीकृत गतिविधियों को बाद में पुरानी श्रृंखला के तहत पैन के आवंटन, टैन के आवंटन और पे रोल अकाउंटिंग तक बढ़ा दिया गया। 1993 में विभाग के कम्प्यूटरीकरण की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा एक कार्य समूह की स्थापना की गई थी। कार्य समूह की रिपोर्ट के आधार पर अक्तूबर, 1993 में सरकार द्वारा एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण योजना को मंजूरी दी गई थी। इसके अनुसरण में, 1994-95 में सर्वर के साथ दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में क्षेत्रीय कम्प्यूटर केंद्र स्थापित किए गए थे।

- 1961
- प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का गठन- प्रत्यक्ष कर प्रशासनिक जांच समिति का गठन।
- आयकर अधिनियम, 1961. 1-4-1962 से अस्तित्व में आया।
- विभाग में पहली बार राजस्व लेखापरीक्षा शुरू की गई।
- आयकर अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन के लिए नई प्रणाली शुरू की गई।
- 1963, 1964
- केंद्रीय राजस्व बोर्ड को विभाजित किया गया और केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत प्रत्यक्ष करों के लिए एक अलग बोर्ड का गठन किया गया, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के रूप में जाना जाता है।
- पहली बार विभाग का कोई अधिकारी 1-1-1964 से सीबीडीटी का अध्यक्ष बना।
- विशेष पुनर्प्राप्ति इकाई बनाई गई।
- इंटेलिजेंस विंग बनाया गया और निरीक्षण निदेशालय (जांच) के प्रभार में रखा गया।
- 2002
- पूरे देश में रिटर्न की कम्प्यूटरीकृत प्रोसेसिंग शुरू की गई।
- आयकर विभाग की राष्ट्रीय वेबसाइट (www.incometaxindia.gov.in) विभाग और करदाताओं के बीच एक महत्वपूर्ण इंटरफेस प्रदान करने के लिए लॉन्च की गई थी।
- 2009

ई-फाइल और पेपर रिटर्न के थोक प्रसंस्करण के लिए बेंगलुरु में केंद्रीकृत प्रसंकरण केंद्र स्थापित किया गया था। केंद्र करदाताओं के साथ बिना किसी इंटरफेस के क्षेत्राधिकार-मुक्त तरीके से काम करता है।

किसी भी देश की सरकार की आमदनी का जरिया टैक्स होते हैं। सरकार को देश या राज्य पर अपना शासन चलाने के लिए और जनता को सुविधाएं देने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। यह पैसा मुख्य रूप से टैक्सों के माध्यम से आता है।

अंग्रेजी में एक कहावत है कि -NATIONS ARE MADE WHEN TAXES ARE PAID. मतलब यह कि जब टैक्सों का भुगतान किया जाता है तभी राष्ट्रों का निर्माण होता है। इससे आप टैक्सों का महत्व समझ सकते हैं।

वफादारी

कर्मी मैं हूँ जे.सी.आई,
जननी जैसी जेसीआई।
जिसके प्रति वफादारी,
ये है मेरी ज़िम्मेवारी।
बच्चे पलते इसके बदौलत,
भार्या रोज श्रृंगति इसके बदौलत।
इसके प्रति वफादारी,
ये हैं मेरी ज़िम्मेवारी।
बच्चों की पितामही जे.सी.आई,
भार्या की सासुरी जे.सी.आई।
इसके प्रति वफादारी ,
ये है मेरी ज़िम्मेवारी।
इनकी हरियाली में छिपी है,
हर कर्मी की खुशियाली।
कर्मी मैं हूँ जेसीआई,
इनकी खुशियाली है मेरी ज़िम्मेवारी।
इनके प्रति वफादारी,
ये है मेरी ज़िम्मेवारी।

शंभू प्रसाद सिंह
सहायक विपणन प्रबंधक-II
गुलाबबाग डीपीसी

चाँदनी पोद्दार

पत्नी- वरुण कुमार पोद्दार

प्रधान कार्यालय, कोलकाता

जल संरक्षण

पंचतत्व जीवन के लिए आधार माने गए हैं। उसमें से एक तत्व जल भी है। अगर जल ही नहीं रहेगा तो जीवन की कल्पना कैसी और सृष्टि का निर्माण कैसा? जल का महत्व इस बात का भी परिचायक है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी सभ्यताएँ और प्राचीन नगर नदियों के किनारे ही बसे और फले-फूले। लेकिन आज विकास की आँधी दौड़ और विलासिता भरी ज़िंदगी में प्राकृतिक संसाधनों का तो जैसे कोई मोल नहीं रह गया है।

हम भली-भाँति जानते है कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन, जीविका, खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमारे देश में विश्व कि जनसंख्या की लगभग 18% आबादी रहती है, जबकि यहाँ विश्व के कुल जल भाग का केवल 4% ही मौजूद है। यहाँ आसमान जल के वितरण के वजह से उपयोग लायक जल की मात्र भी सीमित है। पर्यावरण के साथ निरंतर खिलवाड़ का यह परिणाम हुआ कि आज दुनिया के अधिकांश देश अपनी आबादी को पीने का स्वच्छ पानी तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार भारत में 2030 तक मांग के अनुसार पानी की उपलब्धता में 50% की कमी आ जाएगी। भारत में निष्कर्षित भू-जल का केवल 8 फीसद ही पेय जल के रूप में उपयोग किया जाता है। जबकि इसका 80 फीसद भाग सिंचाई में और 12 प्रतिशत हिस्सा उद्योगों में उपयोग किया जाता है।

जल की कमी के पूर्ति के लिए जल संरक्षण करने के ठोस कदम उठाने होंगे जैसे –

- घरेलू स्तर पर जल का उचित व संभावित उपयोग, उद्योगों में पानी के चक्रीय उपयोग जल संरक्षण में सहायक हो सकता है।
- इस्तेमाल किये हुए पानी का शौचालयों अथवा बगीचों में फिर से इस्तेमाल और रिसाइकिलिंग करके जल का सदुपयोग हेतु जन-जागरूकता बढ़ायी जानी चाहिए।
- वर्षा जल का संग्रहण करके हम पानी को बचा सकते हैं।
- विभिन्न जलाशयों का निर्माण करके उनमें जल संग्रह करना जल संसाधन का सबसे पुराना उपाय है, इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
- भूमिगत जल संरक्षण के लिए भूमिगत जल का कृत्रिम रूप से पुनर्भवन किया जा सकता है।
- टपकन टैंक/ड्रिप/स्प्रिंकल सिंचाई के उपयोग से सिंचाई जल बचाया जा सकता है।
- फसल उगाने के तरीकों का प्रबंधन करके-जैसे कि कम जल क्षेत्रों में ऐसे पौधों का चयन करके जिनकी पैदावार के लिए कम पानी की जरूरत हो।

'जल संरक्षण' आज समूची दुनिया के लिए अहम चिंता का विषय है। हम प्रकृति के इस अमूल्य देन के अत्यधिक दोहन से बाज नहीं आ रहें हैं। पानी को बचाना अति आवश्यक हैं, अतः हम सबको मिलकर इसका संरक्षण करना होगा, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को शुद्ध जल उपलब्ध हो।

कृत्रिम बुद्धिमता और उसका प्रभाव

बिजय भौमिक
उप प्रबंधक (वित्त)
प्रधान कार्यालय, कोलकाता

कृत्रिम बद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मोटे तौर पर कार्यों को करने के लिए प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को संदर्भित करती है जो मानव संज्ञानात्मक कार्य से मिलते-जुलते हैं और इसे आम तौर पर बुद्धिमान मानव व्यवहार की नकल करने के लिए एक मशीन की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में आम तौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता वाले कार्यों को करने में सक्षम कंप्यूटर सिस्टम का सिद्धांत और विकास शामिल होता है, जैसे दृश्य धारणा, भाषण पहचान, निर्णय लेने और भाषाओं के बीच अनुवाद।

दायरा : ऊपर चर्चा की गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द के अर्थ की एक सामान्य रूपरेखा प्रदान करती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की कोई भी सार्वभौमिक रूप से सहमत परिभाषा नहीं हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कुछ दायरे नीचे दी गए हैं : –

मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, रीडन्फोर्समेंट लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों के पमुख घटक : – कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों में आम तौर पर डेटा, एल्गोरिदम और मानव प्रतिक्रिया का उपयोग शामिल होता है। यह सुनिश्चित करना कि इनमें से प्रत्येक घटक उचित रूप से संरचित और मान्य है, इसके अनुप्रयोगों के विकास और कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रमुख घटक हैं:

1. **डेटा**
2. **एल्गोरिदम**
3. **मानव वार्तालाप**

कृत्रिम बुद्धि के लाभ :

यदि ठीक से क्रियान्वित किया जाए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कई लाभ हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कुछ लाभ त्रुटियों को कम करना, निष्पक्ष निर्णय लेना, डिजिटल सहायता, परिचालन दक्षता, जोखिम को कम करना, अनुसंधान और डेटा विश्लेषण, सुचारु डेटा प्रबंधन आदि हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नुकसान :

अनगिनत फायदों के बावजूद कृत्रिम बुद्धिमत्ता नुकसान से मुक्त नहीं है। कुछ नुकसान हैं: प्रारम्भिक लागत अधिक होना, रचनात्मकता और भावनाओं की कमी, कोई या सीमित कल्पना आदि।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव :

पिछले कुछ वर्षों से दैनिक कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम तकनीकें जानकारी प्राप्त करना, लॉजिस्टिक्स का समन्वय करना, वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, जटिल दस्तावेजों का अनुवाद करना, व्यावसायिक रिपोर्ट लिखना, कानूनी विवरण तैयार करना और यहां तक कि बीमारियों का निदान करना जैसे कार्य कर रही हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारी मात्रा में डेटा को संसाधित करने

और उसका विश्लेषण करने की क्षमता है, इसमें व्यावसायिक संचालन की दक्षता को बढ़ावा देने की क्षमता है। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार लगभग 70% कंपनियां 2030 तक कम से कम एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक को अपनाएंगी और आधे से भी कम बड़ी कंपनियां उस अवधि तक अपनी प्रौद्योगिकियों की पूरी श्रृंखला का उपयोग कर सकती हैं। इसके अलावा, प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स जैसी परामर्श फार्म का अनुमान है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2030 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 14% की वृद्धि कर सकती है।

शोधकर्ताओं ने श्रम बाजार पर नई कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों के प्रभाव की भी भविष्यवाणी की। वे श्रम पर नई प्रौद्योगिकियों के प्रभाव को तीन व्यापक प्रभावों में विघटित करते हैं।

1. **विस्थापन प्रभाव**
2. **उत्पादकता प्रभाव**
3. **पुनर्स्थापन प्रभाव**

नई प्रौद्योगिकियों कि बहाली का प्रभाव कई सेवा उद्योगों में नए कार्य बनाने के लिए एक मंच के रूप में काम कर सकता है, जहां श्रम को मशीनों के सापेक्ष तुलनात्मक लाभ होता है, जिससे श्रम की मांग बढ़ती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के बारे में मुख्य रूप से दो विचार धाराएँ हैं, एक निराशावादी दृष्टिकोण और एक आशावादी दृष्टिकोण।

निराशावादियों का मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग द्वारा प्रतिस्थापित श्रम, रोजगार को नुकसान पहुंचाएगा। फ्रे और ओसबोर्न (शोधकर्ता) ने भविष्यवाणी की कि अगले दशक में स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में रोजगार खोने का खतरा है। उनके शोध से पता चलता है कि सेवा व्यवसायो में रोजगार का एक बड़ा हिस्सा जहां पिछले दशकों में सबसे अधिक नौकरी में वृद्धि हुई है वहीं कंप्यूटरीकरण और मशीन लर्निंग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। इसी प्रकार के शोध कार्य बाउल्स द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि कंप्यूटरीकरण के कारण 54% नौकरियाँ खतरे में हैं। अत्यधिक स्वचालन का एक ऐतिहसिक उदाहरण है जो कमजोर उत्पादकता और पुनर्स्थापना प्रभावों के कारण श्रम बाजार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से श्रम बाजार कि संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद है और यह कम-कुशल और उच्च-कुशल नौकरियों की ओर ध्रुवीकृत हो जाएगा और मध्यम-कुशल नौकरियों को छीन लेगा। आशावादियों का मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उत्पादकता और पुनर्स्थापना प्रभाव प्रतिष्ठापन प्रभाव की भरपाई के लिए पर्याप्त से अधिक होंगे। विश्व आर्थिक मंच ने अक्टूबर 2020 में निष्कर्ष निकाला कि जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2025 तक वैश्विक स्तर पर 85 मिलियन नौकरियां छीन लेगा, यह बड़े डेटा और मशीन लर्निंग से लेकर सूचना सुरक्षा और डिजिटल मार्केटिंग तक के क्षेत्रों में 97 मिलियन नई नौकरियां भी पैदा करेगा।

शोधकर्ता ने तर्क दिया कि कृत्रिम बुद्धिमता के स्वचालन से इसके बड़े सकारात्मक स्पिलओवर प्रभाव (पुनर्स्थापना प्रभाव) के कारण रोजगार बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है जो श्रम बाजार में प्रतिस्थापन के नकारात्मक प्रत्यक्ष प्रभावों का प्रतिकार करेगा। उनका मानना है कि स्वचालन से काम खत्म होने के बजाय बदलाव आने की संभावना है। इसके अलावा शोधकर्ताओं का अनुमान है कि अगले दशक में केवल छोटी संख्या में नौकरियाँ स्वचालन के लिए अति संवेदनशील हैं और उनका तर्क है कि प्रतिस्थापन के बजाय परिवर्तन होने की अधिक संभावना है। अगले दो दशकों में 35% नौकरियां मौलिक रूप से बदल जाएगी।

नाकामुरा और जीरा (शोधकर्ता) ने कार्य-आधारित सैद्धांतिक मॉडल बनाया है जो दिखाता है कि स्वचालन से लंबे समय में बेरोजगारी नहीं होगी। इसके अलावा, कई अध्ययनों ने इस बात का समर्थन किया है कि श्रम प्रतिस्थापन प्रभाव उन अध्ययनों की संख्या से कहीं अधिक है जो नई प्रौद्योगिकियों के श्रम-निर्माण या पुनर्स्थापन और वास्तविक आय प्रभावों का समर्थन करते हैं। डेविड भोलाट (शोधकर्ता) के अनुसार नई प्रौद्योगिकियों के कारण विशिष्ट क्षेत्रों में नौकरी की हानि ऐतिहासिक रूप से कुल वास्तविक आय में व्यापक-आधारित लाभ से संतुलित रही है क्योंकि ये प्रौद्योगिकियों उच्च गुणवत्ता और कम कीमत वाली वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करती हैं। इससे उच्च प्रयोज्य आय होती है जो नए उत्पादों की मांग को बढ़ाती है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में श्रम की मांग बढ़ जाती है। इसके अलावा, एलन मैनिंग (शोधकर्ता) ने देखा कि रोजगार पर स्वचालन के प्रभाव के बारे में कुछ प्रतिकूल भविष्यवाणीयां सच नहीं हुई हैं।

इसके अलावा, उन्होंने पाया कि तकनीकी परिवर्तन के शुद्ध रोजगार प्रभाव का विश्लेषण करने वाले अध्ययनों से पता चलता है कि श्रम पर प्रौद्योगिकी का शुद्ध प्रभाव नकारात्मक के बजाय सकारात्मक है, जो इस कथा की पुष्टि करता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जाति के इतिहास में एक बड़ी क्रांति लाएगा।

संदीपा सेन दत्ता
वरिष्ठ प्रबंधक (मा.सं.)
प्रधान कार्यालय, कोलकाता

"स्वच्छता ईश्वर भक्ति के बाद है," एक कहावत है जो किसी व्यक्ति के जीवन में स्वच्छता के महत्व को दर्शाती है। अपने भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रत्येक भारतीय को इस अभियान में भाग लेना चाहिए। नई दिल्ली में राजपथ पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ करते हुए माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, "2019 में महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी।"

स्वच्छता की दिशा में जेसीआई की भूमिका : हाल के वर्षों में जेसीआई ने स्वच्छ और हरित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित पहल की है:

1. स्वच्छता पखवाड़ा– हर साल 1 मार्च से 14 मार्च तक मनाया जाता है।

   यह कार्यक्रम निगम के कार्यालयों को स्वच्छ और हरित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सौंदर्यीकरण और रखरखाव गतिविधियों को चलाने की सुविधा प्रदान करता है। निगम के कार्यालयों के अलावा आस-पास के क्षेत्रों के स्वच्छता का रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाता है।

2. स्वच्छता पर विशेष अभियान-प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में मनाया जाता है। यह हर साल 2 अक्टूबर (महात्मा गांधी की जयंती) से आयोजित एक महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है। यह मुख्य रूप से फाइलों को छांटने, स्क्रैप के निपटान और खाली स्थान के प्रबंधन, डेटा के डिजिटलीकरण आदि पर केंद्रित है। इसके अलावा कार्यालय परिसर और उसके आसपास साफ-सफाई पर भी जोर दिया गया है।

3. स्वच्छता ऐक्शन प्लान-पूरे वर्ष मनाया जाता है। हर साल स्वच्छता कार्य योजना के माध्यम से नागरिक इंटरफ़ेस क्षेत्रों में सुधार और स्कूलों में आउटरीच कार्यक्रम चलाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह उल्लेख करते हुए खुशी हो रही है कि जेसीआई को इस कार्यक्रम को चलने के लिए विभिन्न स्कूलों से भरपूर प्रतिक्रिया मिली है।

इन सभी गतिविधियों को निगम के सभी कार्यालयों के योगदान से सफल बनाया जा सका।

हमारे दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलावों को शामिल करने से हमारे आसपास स्वच्छ वातावरण बन सकता है। स्वच्छ और सुंदर भारत बनाने का लक्ष्य तभी संभव है जब हमारे देश का प्रत्येक नागरिक इसे हासिल करने में योगदान देगा। यदि हम अपने आसपास साफ-सफाई रखे तो हम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अब तक जेसीआई ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत योगदान दिया है लेकिन इसे एक सीमा नहीं माना जाना चाहिए। इसे हमारी मातृभूमि को सुंदर बनाने के निरंतर प्रयास के रूप में माना जाना चाहिए।

काश जिंदगी एक किताब होती

काश, जिंदगी सचमुच किताब होती
पढ़ सकता मैं कि आगे क्या होगा?
क्या पाऊँगा मैं और क्या दिल खोयेगा?
कब थोड़ी खुशी मिलेगी, कब दिल रोयेगा?
काश, जिंदगी सचमुच किताब होती,
फाड़ सकता मैं उन लम्हों को
जिन्होंने मुझे रुलाया है।
जोड़ता कुछ पन्ने जिनकी
यादों ने मुझे हँसाया है।
हिसाब तो लगा पाता कितना
खोया और कितना पाया है?
काश, जिंदगी सचमुच किताब होती,
वक्त से आँखें चुराकर पीछे चला जाता
टूटे सपनों को फिर से अरमानों से सजाता।
कुछ पल के लिए मैं भी मुसकुराता,
काश, जिंदगी सचमुच किताब होती,

पुरुषोत्तम हरि
सहायक प्रबंधक (संचालन/ विपणन)
क्षेत्रीय कार्यालय, बरहमपुर

संघर्ष

एक क्षण पराजय का
जीवन बन सकता नहीं,
है क्या ऐसा संसार में
जो तू कर सकता नहीं।
विकल हो रहा हो जो मन,
तो संभल जायेगा,
पथ-भ्रांत होते विचारों को, पथ दिख लाएगा,
विफल होते हैं प्रयास,
मनुज मगर हार सकता नहीं,
हैं क्या ऐसा संसार में
जो प्रखर-मन भेद सकता नहीं,
है क्या ऐसा संसार में
जो तू कर सकता नहीं।

विशाल आनंद
कनिष्ठ निरीक्षक
गौरीपुर डीपीसी, गौरीपुर आरएलडी

कोशिश कर

कोशिश कर हल निकलेगा
आज नहीं तो, कल निकलेगा
अर्जुन के तीर.सा साध
मरूस्थल से भी जल निकलेगा
मेहनत कर, पौधो को पानी दे
वंजर जमीन से भी कल निकलेगा।
कोशिश कर हल निकलेगा.
आज नहीं तो कल निकलेगा।

विकाश चंद्र बर्मन
कंटिजेंट, चंडोल डीपीसी,
तुलसीहाटा आरएलडी

शांतनू चक्रवर्ती
मुख्य प्रबंधक (वित्त)
प्रधान कार्यालय, कोलकाता

भारतीय पटसन निगम का वित्त

भारतीय पटसन निगम भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। पाट उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु पाट क्षेत्र को मजबूत करने के मूल उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। तब से लेकर आज तक यह निगम पाट उत्पादकों के भरोसों पर खरी उतरी है। इस निगम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पाट उत्पादकों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले तथा जल्द से जल्द मिले। इस क्रम में निगम के वित्त विभाग की भूमिका अहम् रही है।

यह निगम छह राज्यों में स्थित चौदह क्षेत्रीय कार्यालयों से अपने कार्य को संचालित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिए निगम में तीस लोगों का एक वित्तीय दल है। निदेशक (वित्त) और विभागाध्यक्ष के अलावा दो वरिष्ठ प्रबंधक एवं तेरह उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक हैं। इनकी सहायता के लिए तेरह लेखाकार हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक-एक उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक एवं लेखाकार हैं।

कार्यों के आधार पर वित्त विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुभाग आते हैं –

- लेखांकन एवं लेखापरीक्षा;
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर;
- विक्रय राशि की प्राप्ति
- निधि प्रबंधन एवं ऋण
- भुगतान एवं आय-व्ययक।

प्रत्येक क्षेत्र से मासिक वही-खाता एक सप्ताह के अंदर प्रधान कार्यालय पहुँच जाता है जिसको समेकित कर विभिन्न प्रकार के विश्लेषण किए जाते हैं तथा मासिक सूचना प्रणाली द्वारा निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध होता है। तय समय सीमा के अंदर वैधानिक भुगतान, लेखापरीक्षा तथा रिटर्न जमा देना वित्त विभाग का मुख्य कार्य है। भारत सरकार के अनुदान की रकम से की जाने वाली लेन-देन की जानकारी पी एफ एम एस में दर्शाया जाता है।

भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित होने पर ही वित्त विभाग पाट प्रेषण की स्वीकृति प्रदान करता है। शक्तियों का प्रत्यायोजन के अनुसार अनुमोदित व्यय की स्वीकृत प्रदान करना तथा बिल का भुगतान करना निगम के वित्त विभाग का मुख्य कार्य है। 3 कार्य दिवस के अंदर पाट किसानों को भुगतान मिले और वो भी उनके बैंक खातों में, यह निगम के वित्त विभाग की प्राथमिकता में से एक है। पहले यह कार्य प्रधान कार्यालय से किया जाता था परंतु व्यवसाय के सरलीकरण की दिशा में, शीघ्र भुगतान हेतु इस कार्य को क्षेत्रीय कार्यालय को सौंप दिया गया।

निगम के वित्तीय दल की हमेशा कोशिश रहती है कि वह निधि को इस तरह से बचा के रखे कि जब पाट की खरीदारी शुरू हो, उस समय उनके पास पर्याप्त राशि मौजूद रहे। जब कभी ऋण लेने की स्थिति होती है तब वित्त कर्मचारी इस बात का ख्याल रखते हैं कि कम से कम ब्याज दर पर कर्ज लिया जाय। ब्याज सहित कर्ज का पूर्ण भुगतान करने के उपरांत शेष राशि को सावधि जमा के रूप में रख दिया जाता है ताकि जरूरत के अनुसार उसका उपयोग किया जा सके।

हमारे निगम को अनुदान पर आश्रित रहना पड़ता है, जिसके लिए उचित नियमों का पालन करना भी वित्त विभाग की एक अहम् जिम्मेदारी है। निगम के काम काज को आधुनिक बनाने में वित्त विभाग का भरपूर योगदान है।

टैली ई आर पी को कार्यान्वित करना हो या मशीन का उपयोग करना हो, कभी पीछे नहीं रहा है। आने वाले समय में एकीकृत प्रणाली को कार्यान्वित करने की भी परियोजना है जो निगम के अन्य विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा जिससे कार्य करना और भी सरल और शीघ्र हो जाएगा। यही नहीं बल्कि स्वनिर्धारित रिपोर्ट भी कर पाएंगें।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

अभिक साहा
कंपनी सचिव
प्रधान कार्यालय, कोलकाता

किसी भी कंपनी को चलाने की प्रणालियों, सिद्धांतों और प्रतिक्रियाओं के मिले-जुले रूप को कॉरपोरेट गवर्नेंस कहते हैं। इनसे दिशानिर्देश मिलता है कि कंपनी का संचालन और उस पर नियंत्रण किस तरह किया जाए कि इससे कंपनी की गुणवत्ता बढ़े और इससे संबंधित लोगों को दीर्घकालिक तौर पर लाभ हो। यहाँ संबंधित लोगों के दायरे में कंपनी का निदेशक मण्डल, कर्मचारी, ग्राहक और पूरा समाज शामिल है। इस तरह से कंपनी का प्रबंधन अन्य सभी लोगों के लिए ट्रस्टी की भूमिका में आ जाता है।

उद्देश्य

- शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना।
- अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना।
- निवेशकों के विश्वास को मजबूती प्रदान करना, साथ ही कंपनियों के मुनाफे को बढ़ाना।
- फार्म के कुशल निष्पादन को ध्यान में रखते हुए आर्थिक और मानव पूंजी को आकर्षित करना।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत क्या हैं?

कॉर्पोरेट प्रशासन कुछ प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर विकसित हुआ है जो कॉर्पोरेट के लिए निर्धारित नियमों और दिशा निर्देशों को तैयार करते हैं। इन सिद्धांतों के वर्णन निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है –

- पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कंपनी के कारोबार को चलाना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पहला मुख्य सिद्धांत है।
- लेन-देन की गतिविधियों में ईमानदारी बरतना, कंपनी के परिणामों और फैसलें को सार्वजनिक करना, देश के कायदे-कानून का पालन करना और लोगों के भरोसे को बनाए रखना है।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बाजार नियामक संस्था सेबी ने खास तौर पर कहा है कि कंपनी का प्रबंधन करते हुए या साफ किया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत संपत्ति के दायरे में क्या है और कंपनी की संपत्ति के दायरे में क्या है।
- कॉर्पोरेट के सुचारु कामकाज के लिए शीर्ष प्रबंधक की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत निदेशक-मंडल को कॉर्पोरेट में किसी भी इच्छुक पार्टी के हस्तक्षेप के बिना काम करने पर बल देता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांत प्रभावी और कुशल तरीके से चलाने के लिए प्रबंधन को सभी स्टेक होल्डर्स का विश्वास प्राप्त करने पर बल देता है। उल्लेखनीय है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के छ: तत्व हैं, जिन्हें 'स्टेक होल्डर्स' कहा जाता है। इनमें शामिल हैं –

- ग्राहक
- कर्मचारी
- निवेशक
- वेंडर
- सरकार
- समाज

कॉर्पोरेट गवर्नेंस उस व्यक्ति की जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है जो दूसरों के हित के लिए निर्णय लेता है। इसलिए प्रबंधकों, अध्यक्षों, निदेशकों और अन्य अधिकारियों जैसे व्यक्तियों को कॉर्पोरेट के अन्य हितधारकों के प्रति जवाबदेह बनाना कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांत की आधारशिला है।

नैतिक और उत्तरदायी निर्णय करना न केवल सार्वजनिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जोखिम प्रबंधन और कानूनी मुकदमों को टालने के लिए भी एक आवश्यक तत्व है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों?

- पिछले एक दशक में कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। कई बड़ी-बड़ी कंपनियों के डूबने से एक तरफ जहां निवेशकों का पैसा डूबा है, वहीं दूसरी तरफ इससे कई सारे लोगों का रोजगार भी छीना है, साथ ही देश की साख भी प्रभावित हुई है।
- आज के भूमंडलीकृत विश्व में जबकि कॉर्पोरेट्स के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे पूंजी के साथ सर्वोत्तम मानव पूंजी को आकृष्ट करें तथा उन्हें अपने पास बनाए रखें। ऐसे हालात में कंपनियां जब तक

कॉर्पोरेट नैतिक आचरण को नहीं अपनाएंगी तथा उसे प्रदर्शित नहीं करेंगी, वे सफल नहीं हो पायेंगी।

- अच्छा कॉर्पोरेट शासन मानक कंपनी के प्रचालनात्मक निष्पादन को महत्वपूर्ण और बेहतर बनाता है, साथ ही कॉर्पोरेट शासन प्रक्रियाओं द्वारा प्रस्तुत विश्वसनीयता भी अधिक दीर्घावधिक पूंजी को आकृष्ट कर विदेशी तथा घरेलू निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने में सहायता करता है। इससे वित्तपोषण के अधिक स्थायी स्रोत अभिप्रेरित होते हैं।
- वर्तमान समय में पर्यावरण, प्रदूषण, माल और सेवाओं की गुणवत्ता, सतत् विकास आदि को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का संचालन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विदित हो कि कॉर्पोरेट इकाई के अधिग्रहण ने अतीत में बहुत सारी समस्याएँ पैदा की है जिसके चलते कंपनी में विभिन्न हितधारकों के अधिकार प्रभावित हुए हैं।
- एक कॉर्पोरेट के पास बहुत सारे शेयरधारक होते हैं, कॉर्पोरेट प्रशासन अपने कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से इसे लागू करके शेयरधारक लोकतंत्र की रक्षा करता है।
- भारत अभी तक अपनी कानूनी एवं विनियामक प्रणालियों तथा प्रवर्तन क्षमताओं का पूरी तरह से विकास नहीं कर पाया है।
- निजी क्षेत्र की संस्थाएँ विकसित देशों के समान सुविकसित नहीं हैं। पारदर्शिता (Transparency) और प्रकटीकरण मानदंडों (Disclosure Norms) की कमी के साथ-साथ कंपनी के खातों की गलत जानकारी देने की घटनाएँ ऐसे मुद्दे हैं जिनके जल्दी समाधान की आवश्यकता है।
- गौरतलब है कि बाजार में कंपनियों की बड़ी संख्या को देखते हुए रिपोर्टिंग और जवाबदेही के मानकों में कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
- आज के समय में बड़ी कॉर्पोरेट निवेशक कंपनी के प्रबंधन के लिए एक चुनौती बनते जा रहे हैं क्योंकि वे कंपनी के निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। इसे देखते हुए भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने कोड निर्धारित किया है।
- इन कंपनियों में अंतराष्ट्रीय पूंजी का अत्यधिक प्रवाह भारतीय कॉर्पोरेट के प्रबंधन को प्रभावित कर रहा है, जिन्हें कॉरपोरेट आचरण की एक संहिता की भी आवश्यकता है।

भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क : उदारीकरण और निजीकरण के बाद भारत में अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेतु फ्रेमवर्क तैयार करने के संबंध में सिफारिश करने के लिए एसोचेम, सेबी और सीआईआई ने समितियाँ गठित की थी। बाद में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने वैश्विक वित्तीय संकट और भारत में बड़ी कंपनियों के असफल होने के मद्देनजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्वैच्छिक दिशा-निर्देश 2009 निर्धारित किए थे। इनका उद्देश्य पारदर्शिता, नैतिक और उत्तरदायी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क का निर्माण करना है।

भारत में कंपनियों के विनियम से संबंधित प्रमुख कानून कंपनी अधिनियम, 2013 है। इसके अतिरिक्त सेबी अधिनियम, 1992 द्वारा भी कंपनियाँ विनियमित होती हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 : कंपनी अधिनियम, 1956 के स्थान पर 2013 में नई कंपनी अधिनियम लागू किया गया है। इसमें लेखापरीक्षा समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें कम से कम तीन निदेशक सदस्य शामिल होंगे और उनमें स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा। प्रत्येक निदेशक को अधिनियम में विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी कंपनी, कॉर्पोरेट निकाय, फार्म तथा पक्षकारों आदि में अपने हितों का खुलासा करना होता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लाभ : कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लाभ को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है –

- जिन कंपनियों का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होता है, उन पर लोगों का भरोसा कायम रहता है। किसी कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति और उनकी सक्रियता से बाजार में उसकी स्थिति अच्छी होती हैं।
- विदेशी संस्थागत निवेशक जब किसी कंपनी में अपना निवेश करना चाहते हैं तो वे कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर खास ध्यान रखते हैं।
- साथ ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस उस कंपनी के शेयरों की कीमत पर भी असर डालता है यदि किसी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर होता है तो बाजार से उसे रकम जुटाने में भी सहजता होती है।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्यवस्था का सर्वोत्तम क्रियान्वयन न केवल शेयर धारकों बल्कि फर्म के अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह मूल्य, स्थिरता और दीर्घकालिक लाभ को बढ़ाता है।
- कॉर्पोरेट संस्कृति में सबसे अहम् लक्ष्य लाभ प्राप्त करना होता है। लगातार लाभ प्राप्त करने के लिए सकारात्मक अभिवृत्ति वाले कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत निम्न कार्य किए जा रहे हैं, जैसे-
- कंपनी के उच्च कर्मचारियों तथा मालिकों का व्यवहार उन मानकों के अनुरूप हो जैसा वे कर्मचारियों से उम्मीद करते हैं।
- एकता की भावना तथा सामूहिकता की भावना लाने के लिए विशेष प्रयास किया जाना, जैसे- वर्कशॉप, औपचारिक बैठकें आदि।
- बिना भेदभाव के सभी को अपनी क्षमताएँ विकसित करने का मौका देना।
- विभिन्न कर्मचारियों में समानता का सिद्धान्त लागू करना, अधिक काम करने पर ओवरटाइम या अन्य सुविधाओं का आश्वासन देना।

- नियमों में थोड़ा बहुत ही लचीलापन की व्यवस्था करना।

चुनौतियाँ

भारत में विशेष रूप से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के समक्ष निम्न चुनौतियाँ मौजूद हैं –

- इसमें कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों के संतुलन को बनाए नहीं रखा जाता है। यहाँ केवल प्रमुख लोगों को ही उजागर करने का प्रयास किया जात है।
- समय-समय पर मूल्यांकन नहीं किया जाता है जिससे पारदर्शिता कहीं खो जाती है और प्रदर्शन परिणामोन्मुखी नहीं होते हैं।
- सेबी समिति के दिशा-निर्देश जारी करने के बाद भी एक ऑडिट कमेटी की नियुक्ति के लिए या स्वतंत्र निदेशकों की व्यापक परिभाषा देने के बाद भी वास्तविक स्थिति और खराब होती दिखाई दे रही है।
- जवाबदेही केवल शेयरधारकों या कंपनी तक ही सीमित होती है, यह बड़े पैमाने पर समाज के लिए नहीं होता है। इसी कारण कॉर्पोरेट क्षेत्र में विफलताओं और घोटालों की अनेक घटनाएँ हुई हैं। विदित हो कि निदेशक अपने हितों को ध्यान में रखते हैं।
- आधुनिक गवर्नेंस व्यवस्था के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती साइबर खतरा है।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए सीएसआर की व्यवस्था किया तो गया पर हाल ही में प्राइम डाटाबेस द्वारा सीएसआर पर जारी रिपोर्ट में इससे संबंधित कई समस्याओं को उजागर किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि सीएसआर प्रावधान अपने उद्देश्यों की पूर्ति में पूर्णतः सफल नहीं हुए हैं।
- दूरदराज के इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों का लाभ नहीं पहुँच पाता है। परिणामतः वास्तविक जरुरतमंद इनके लाभों से वंचित रह जाते हैं।

सरकारी प्रयास : देश का कारोबारी जगत लंबे समय से कारोबारी संचालन की दिक्कतों से गुजर रहा है। इसकी वजह से पर्यवेक्षकों के मन में बोर्ड की निगरानी और अंकेक्षण की गुणवत्ता को लाकर भरोसा कम हो रहा है, इसे देखते हुए हाल ही में बाजार नियामक सेबी द्वारा नियुक्त बैंकर उदय कोटक की अध्यक्षता वाली समिति ने कॉर्पोरेट संचालन में सुधार और बेहतरी से संबंधित रिपोर्ट सौंपी है। विदित हो कि समिति ने कंपनी बोर्ड का संचालन करने वाले नियमों, पारदर्शिता एवं खुलासों से संबन्धित अनुमानों और संबंधित अनुमानों और संबंधित पक्ष के लेन-देन के परीक्षण जैसे मसलों को लेकर कई सुधारों की अनुशंसा की है। इसे अनुशंसा को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है –

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) की कंपनियों के कामकाज के संचालन पर एक उच्चस्तरीय समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके प्रशासनिक मंत्रालय से स्वतंत्र कराने की सलाह दी है।
- सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कामकाज के संचालन संबंधी नियमों में बदलाव के संबंध में समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को चाहिए कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए पारदर्शी कामकाज तय करे।
- सूचीबद्ध कंपनियों के उद्देश्य और प्रतिबद्धताओं का भी खुलासा करना चाहिए।
- समिति की अनुशंसा यह भी है कि किसी कंपनी का चेयरमैन कम-से-कम गैर कार्यकारी निदेशक होना चाहिए, ताकि प्रबंधन में स्वायत्तता सुनिश्चित की जा सके।
- रिपोर्ट कहती है कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उनके प्रशासनिक मंत्रालय से स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए, इससे जहां निर्णय प्रक्रिया तेज हो सकेगी, वहीं उनके परिचालन में स्वायत्तता आ सकेगी।
- विदित हो कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्वतंत्रता सुनिश्चित होने से सार्वजनिक उपक्रम बेहतर वाणिज्यिक लक्ष्य हासिल कर सकेंगे और वे प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकेंगी।

आगे की राह : कॉर्पोरेट प्रशासन का स्तर जितना उच्च होगा, कंपनी के शेयरधारकों की नजर में कंपनी उतनी ही मजबूत होगी। एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संदर्भ में यहाँ कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है

- भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं को कंपनियों को उनकी कार्य संस्कृति का ऑडिट करने के लिए और शेयरधारकों के समुदाय को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण देने के लिए विचार-विमर्श करना चाहिए क्योंकि उनके कार्यों के नैतिक और कानूनी निहितार्थ हैं।
- कंपनी अधिनियम 2013 के नए मानक बहुत संतुलित और नवीन हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारतीय कंपनियों के विकास में सुधार करने में मदद की है। शेयरधारकों को कंपनियों के निर्णय लेने में शामिल किया गया है और विभिन्न सुरक्षा उपायों को रखा गया है ताकि शेयरधारकों और समाज के हितों को दरकिनार न किया जाए। इसे और सशक्त करने की आवश्यकता है।
- बैंकर उदय कोटक की अध्यक्षता वाली समिति ने जिन सुधारों की अनुशंसा की है, उन्हें लागू किया जाए।

मनीष श्रीवास्तव
सहायक प्रबंधक (मा. सं)
प्रधान कार्यालय, कोलकाता

एच.आर.एम.एस. (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली)

एक व्यापक साफ्टवेयर समाधान है जो कंपनी में मानव संसाधन (एच आर) के प्रबंधन को सुचारु और स्वचालित बनाने के लिए उपयोग होता है। यह एक केन्द्रीकृत प्लेटफोर्म प्रदान करता है जिसमें कर्मचारी के डेटा, कार्यकाल प्रदर्शन, वेतन और अन्य संबंधित जानकारी का प्रबंधन किया जा सकता है। एच.आर.एम.एस के उपयोग से कंपनी को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते है:

कर्मचारी डेटा प्रबंधन की केंद्रीकृतता: एच.आर.एम.एस एक केंद्रीकृत डेटाबेस के रूप में काम करता है जो एच. आर को कर्मचारी की जानकारी को संग्रहीत, प्रबंधित और उपयोग को सुगम बनाता है। पेपर पर आधारित रिकॉर्ड और स्प्रेडशीट की आवश्यकता को कम करता है, त्रुटियों और डेटा की प्रतिलिपि होने के खतरे को कम करता है। उदाहरण के रूप में, पुराने दस्तावेज़ीकरण या स्प्रडशीट की जगह एच.आर को सुरक्षित डिजिटल डेटाबेस में कर्मचारी जानकारी को आसानी से प्राप्त और अपडेट करने की अनुमति देता है।

अवकाश प्रबंधन: यह एक महत्वपूर्ण सुविधा है। यह सिस्टम कर्मचारियों को अवकाश लेने और प्रबंधित करने में मदद करता है। जैसे कि –

क) अवकाश अनुरोध: कर्मचारियों को आसानी से अवकाश अनुरोध करने की सुविधा प्रदान करता है। कर्मचारी ऐप्लिकेशन के माध्यम से ई-फ़ार्म को भरकर वे अपना अवकाश अनुरोध कर सकते हैं।

ख) अवकाश प्रमाणीकरण: एच.आर.एम.एस अवकाश प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करता है। कर्मचारी अपने अवकाश अनुरोध को उच्च अधिकारी से प्रमाणित करा सकता है।

ग) अवकाश ट्रैकिंग: एच.आर.एम.एस कर्मचारियों के अवकाश को स्वचालित रूप से ट्रैक करता है। यह दर्शाता है कि कर्मचारी कितने अवकाश लिये हैं, कितना उपयोग किया गया है और कितना शेष हैं। यह विभिन्न प्रकार के अवकाशों की जानकारी भी प्रदान करता है, जैसे कि आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, परिवर्तित/ चिकित्सा अवकाश आदि।

घ) अवकाश नीति और अनुशासन: इसके माध्यम से कंपनी अपनी अवकाश नीति को प्रबंधित कर सकता है और कर्मचारियों के अवकाश पर नियमों के पालन को नियमित करता है।

ङ) अवकाश रिपोर्ट: एच.आर.एम.एस अवकाश रिपोर्ट जेनरेट कर सकता है जो कर्मचारी और कंपनी को अवकाश का सारांश प्रदान करता है। यह रिपोर्ट अवकाश का सारांश प्रदान करता है। यह रिपोर्ट विभिन्न प्रकार के अवकाशों, कर्मचारियों के अवकाश, इतिहास और उपयोग की जानकारी देता है।

कार्यकाल और उपस्थिति प्रबंधन: एच.आर.एम.एस बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणालियों के साथ संगठित हो सकता है, जिससे कर्मचारी डिजिटल रूप से "इन" और "आउट" कर सकते हैं। सिस्टम स्वचालित रुप से डेटा को रिकॉर्ड करेगा और कार्यकाल की गणना

करेगा साथ ही कर्मचारी उपस्थिति, अवकाश संतुलन और अतिरिक्त समय के घंटे का सटीक ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है।

बेहतर रिपोर्टिंग और विश्लेषण : एच. आर. को कार्यों संबंधी वास्तविक समय के आकड़ों और रिपोर्ट प्रदान करता है उदाहरण के लिए "कर्मचारियों की कुल संख्या" की जानकारी- कार्यालय एवं क्षेत्रीय एवं डी. पी. सी. के आधार पर, लिंग (पुरुष/महिला) के आधार पर, जाति (एस.सी/एस.टी/ओ. बी.सी/ई.डब्ल्यू.एस) के आधार पर, विकलांगता/ दिव्यांगजन के आधार पर, पूर्व सैनिक के आधार पर, ज्वाइनिंग अवधि/ ग्रेड-वेतनमान/सेवानिवृत्ति के आधार पर। यह डेटा आधारित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है।

पे रोल प्रबंधन : यह सिस्टम कंपनी के कर्मचारियों के वेतन और देयता का प्रबंधन करने में मदद करता है। यह पुष्टि करता है कि वेतन प्रस्तुति, वेतन स्लिप, अवधारणा और अन्य संबंधित कार्य प्रभावी और सुचारु रूप से हो। एच. आर. एम. एस. के पे रोल प्रबंधन के निम्नलिखित लाभ है :

(क) यह सिस्टम ऑटोमेटेड रूप से कटौती, जैसे कि कर, नियमित कटौती और अन्य धनराशि कटौती का प्रबंध करता है।

(ख) हर प्रकार की वेतन संबन्धित रिपोर्ट्स को तैयार करने में मदद करता है।

अन्य लाभ :

(क)कर्मचारी भर्ती की सुगमता

(ख)कर्मचारी मूल्यांकन प्रबंधन

(ग)डेटा एनालिटिक्स सुविधा

एच.आर.एम.एस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) सॉफ्टवेयर समय और श्रम की बचत के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी. एस. यू) को सहायता प्रदान करता है, संगठनात्मक दक्षता में सुधार करता है और दीर्घकालिक लक्ष्यों और योजनाओं को प्राप्त करने के लिए प्रणाली बनाने में मदद करता है। जो पी. एस. यू. की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

भारत इंडिया हो गया

अंग्रेज चले गए पर
अंग्रेजी की भूत न गया।

न जाने भारत वासियों को
ये आज क्या हो गया।

माता-पिता न जाने कहाँ खो गए
उनकी जगह तो आज मौम-डैड हो गए

चाचा-चाची, बुआ-फुफा सब बैन हो गए
आजकल तो सारे अंकल अंटी के फैन हो गए

भारत में मित्र नहीं फ्रेंड हो गए
पति बेचारे पति देव से हसबैंड हो गए

माता जी को प्रणाम
हैलो मदर हो गया

बस यारो अब तो छोटा भाई भी
हैलो ब्रदर हो गया।

सच कहते हो यारो अब तो
अखबार भी मीडिया हो गया

अपना भारत भी इंडिया हो गया।

मंजु रानी
कनिष्ठ निरीक्षक
प्रधान कार्यालय, कोलकाता

कमल कांत शर्मा
लेखाकर
सिलीगुड़ी क्षेत्रीय कार्यालय

सकारात्मक सोच

ट्रेन में दो बच्चे यहाँ-वहाँ दौड़ रहे थे, कभी आपस में झगड़ जाते तो कभी किसी सीट पर कूदते। पास ही बैठा पिता किन्हीं विचारों में खोया था। बीच-बीच में जब बच्चे उसकी ओर देखते तो वह एक स्नेहिल मुस्कान बच्चों पर डालता और फिर बच्चे उसी प्रकार अपनी शरारतों में व्यस्त हो जाते और पिता फिर उन्हें निहारने लगता।

ट्रेन के सहयात्री बच्चों की चंचलता से परेशान हो गए थे और पिता के रवैये से नाराज। चूंकि रात्री का समय था, अतः सभी आराम करना चाहते थे। बच्चों की भागदौड़ को देखते हुए एक यात्री से रहा न गया और लगभग झल्लाते हुए बच्चों के पिता से बोल उठा "कैसे पिता हैं आप? बच्चे इतनी शैतानियाँ कर रहे हैं और आप उन्हें रोकते-टोकते नहीं बल्कि मुस्कराकर प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या आपका दायित्व नहीं कि आप इन्हें समझाएँ"

उन सज्जन की शिकायत से अन्य यात्रियों ने राहत की सांस ली कि अब यह व्यक्ति लज्जित होगा और बच्चों को रोकेगा। परंतु उस पिता ने कुछ क्षण रुक कर कहा कि- कैसे समझाऊँ बस यही सोच रहा हूँ भाई साहब।

यात्री बोला - मैं कुछ समझा नहीं।

व्यक्ति बोला "मेरी पत्नी अपने मायके गई थी वहाँ एक दुर्घटना के चलते कल उसकी मौत हो गई। मैं बच्चों को उनके अंतिम दर्शन के लिए ले जा रहा हूँ। इसी उलझन में हूँ कि कैसे समझाऊँ इन्हें कि अब ये अपनी माँ को कभी देख नहीं पाएंगे।"

उसकी यह बात सुनकर जैसे सभी लोगों को सांप सूंघ गया। बोलना तो दूर सोचने तक की सामर्थ्य जाती रही सभी की। बच्चे यथावत शैतानियाँ कर रहे थे। अभी भी वे कम्पार्टमेंट में दौड़ ही लगा रहे थे। वह व्यक्ति फिर मौन हो गया। वातावरण में कोई परिवर्तन न हुआ पर वे बच्चे अब उन यात्रियों को शैतान, अशिष्ट नहीं लग रहे थे बल्कि ऐसे नन्हें कोमल पुष्प लग रहे थे जिन पर सभी अपनी ममता उडेलना चाह रहे थे। उनका पिता अब उन लोगों को लापरवाह इंसान नहीं वरन अपने जीवनसाथी के वियोग से दुखी दो बच्चों का अकेला पिता और माता भी दिखाई दे रहा था।

कहने को तो यह कहानी है पर एक मूल बात यह अनुभूत हुई कि आखिर क्षण भर में ही इतना परिवर्तन सभी के व्यवहार में आ गया। क्योंकि उनकी दृष्टि में परिवर्तन आ चुका था। हम सभी इसलिए उलझनों में है क्योंकि हमने अपने धारणाओं रूपी उलझनों का संसार अपने इर्द-गिर्द स्वयं रच लिया है। मैं यह नहीं कहता मित्रों कि किसी को परेशानी या तकलीफ नहीं, पर क्या निराशा या नकारात्मक विचारों से हम उन परिस्थितियों को बादल सकते हैं? नहीं। आवश्यकता है एक आशा, उत्साह से भरी सकारात्मक सोच की फिर परिवर्तन तत्क्षण आपके भीतर आपको अनुभव होगा।

जेसीआई के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 03 अप्रैल, 2023 को कोलकाता में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के विजेता।

25 अगस्त, 2023 को कोलकाता में आयोजित नराकास (उपक्रम) कोलकाता की छमाही समीक्षा बैठक में भाग लेते हुए निगम के प्रबंध निदेशक, श्री अजय कुमार जॉली।

23 जून, 2023 को प्रधान कार्यालय में आयोजित हिंदी कार्यशाला।

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार की संस्था

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता - 700 087